

23/2/23

अपील के अद्वैतका उपलक्षण, जिनके
द्वारा एकत्रण में प्रैवी हिदायत नदी
होना एकत्र (क्रिया) मूल अपील
अदक प्रैवी में खारिज की गई
है, लिहाजा यह प्रक्रिया-पत्र चलने
योग्य नहीं होने से इसी प्रक्रम
में खारिज किया जाता है (आवली)
(केवल गुणार दिनांक नम्बर से काग
हों के साबिल दफ्तर हों)

अपर कलेक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)